



दूरभाष: 0522-2286709
2286710

राज्य नगरीय विकास अभिकरण उठोप्र०

नव चेतना केन्द्र, 10, अशोक मार्ग, लखनऊ-226001

पत्रांक:- ५४३२/७६ / एक / ABMBVY / 2015-16

दिनांक:- 26/2/16

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी/अध्यक्ष,
जिला नगरीय विकास अभिकरण
उत्तर प्रदेश।

विषय:- शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों में "इण्टरलाकिंग रोड व नाली, जल निकासी एवं अन्य सामान्य सुविधा योजनान्तर्गत" स्वीकृत विभिन्न परियोजनाओं हेतु द्वितीय किश्त की मांग किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में अवगत कराना है कि जनपदों के द्वारा विभिन्न शासनादेशों के अन्तर्गत स्वीकृत परियोजनाओं हेतु अवमुक्त की गई प्रथम किश्त की धनराशि के 75 प्रतिशत उपभोग के उपरान्त उपयोगिता प्रमाण-पत्र एवं वित्तीय/भौतिक प्रगति विवरण उपलब्ध नहीं कराये गये हैं, जिसके कारण उक्त परियोजनाओं की द्वितीय किश्त की मांग हेतु शासन को प्रस्ताव प्रेषित किया जाना संभव नहीं हो पा रहा है।

उक्त क्रम में अनुरोध है कि कृपया विभिन्न शासनादेशों के माध्यम से स्वीकृत परियोजनाओं हेतु प्राप्त परियोजनावार प्रथम किश्त की धनराशि के 75 प्रतिशत उपयोग के उपरान्त तदनुसार भौतिक प्रगति निर्धारित प्रारूप पर दर्शाते हुये वित्तीय एवं भौतिक प्रगति विवरण अभिकरण मुख्यालय को अविलम्ब उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि उपरोक्त की द्वितीय किश्त की धनराशि की मांग किये जाने हेतु प्रस्ताव शासन को इसी वित्तीय वर्ष में प्रेषित किये जा सकें।

भवदीय,

(शैलेन्द्र कुमार सिंह)
निदेशक

पत्रांक एवं दिनांक तदैव:-

प्रतिलिपि:- समस्त परियोजना अधिकारी/सहायक परियोजना अधिकारी, जिला नगरीय विकास अभिकरण (झूडा), उत्तर प्रदेश को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि यथाशीघ्र निर्धारित प्रारूप पर उपयोगिता प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

(शैलेन्द्र कुमार सिंह)
निदेशक